

सार-समाचार

‘हमारी क्रिया में यतना व विवेक हो’

जोधपुर, (कासं)। चौरङ्गिया भवन में विराजित सुमति मुनि म सा ने अपने चातुर्मास प्रवचन में कहा कि क्रिया शुभ, अशुभ हो यह आपके है परिणामों पर निर्भर है।आपके भाव अच्छे हो तो शुभकर्मबंधकर पुण्य का अनुभाग बढ़ता है। हमारी हर क्रिया में यतना, विवेक हो। भगवान की आज्ञा के अनुसार करने योग्य कार्य को करना है। शक्ति का सदुपयोग नहीं करने पर वीर्यान्तराश कर्म बंध होता है। क्रिया में विधि एवं भावों की प्रमुखता रहती है। भगवान बाहुबली ने पूर्वभव में साधुओं की सेवा, वेयावृत्य, अहोभाव से करने से महाबलशाली बने। इससे पूर्व महासतीजी नगीना श्री जी ने कहा कि प्रभुभक्ति में रोना अच्छा माना गया है। किसी की मृत्यु पर रोने से अशुभकर्मों का बंध होता है। आपको व्यापार में घाटा लग जाय, रकम दूब जाय, अग्नि लग जाये, कितने भी संकट आवे, आपको रोना नहीं है। आँसू दर्द का इजहार करे, जब तक ठीक है। लेकिन नाटकीय ढंग से घड़ियाली आसू बहाकर किसी को भावनात्मक रूप से ब्लैकमैल करते है तो नरक गतिाका बंध होता है। महासतीजी ने कहा कि जो अपने माता-पिता, बड़ो को धोखा देकर खलाता है, उनके आँसुओं को हम नाटक का कारा कर देते हैं तब माता-पिता की आँखो से जितनी आँसुओं की बूंदे गिरती है उतनी बार नरकगति में जाना पड़ता है। एक बार जब कर्म बांधते हो तो, और प्रायश्चित्त पूर्वक प्रतिक्रमण नहीं किया तो उसका भुगतान सामान्यतया दस गुने से लेकर अनन्त गुणें होने तक भोगना पड़ता है यदि दुख से बचना हो तो पाप से बचो एवं पाप से बचना हो तो अशुभ क्रिया से बचो । संसार यानि सरकना, यहाँ कोई चीज स्थिर नहीं है, कब जायेगी, कैसे जायेगी यह हमको मालूम नहीं है । कोई वस्तु हमें छोड़े उससे पहले उस वस्तु को आप त्याग दोगे तो दुख नहीं होगा।

नवरत्न रावल की स्मृति में रक्तदान

जोधपुर, (का.सं.)। राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन सम्राट् स्वर्गीय नवरत्न सिंह रावल की प्रथम पुण्यतिथि पर माता का थान स्थित गजनगढ गार्डन में विशाल रक्तदान का आयोजन किया गया। संयोजक शक्ति सिंह सांखला ने बताया कि स्व. नवरतन सिंह रावल की पुण्यतिथि पर लाल बून्द जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान द्वारा आयोजित विशाल रक्तदान शिविर के अवसर पर सैकड़ो लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर सूरसागर रामद्वारा के महन्त राम प्रसाद महाराज का सान्निध्य प्राप्त हुआ। स्व नवरतन सांमन्यतया दस बजो के प्रवेश अध्यक्ष उमदेद सिंह ने बताया कि इसी स्थान पर रात 8:30 बजे से विशाल भजन संध्या का कार्यक्रम।

सूने मकान से चोरी, केस दर्ज

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर शहर के राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र झंवर रोड स्थित पत्रकार कॉलोनी में एक सूने मकान में चोरों ने संध लगाकर वहां से लाखों के जेवरात के साथ नगदी पार कर ली। घर मालिक की तरफ से राजीव गांधी नगर थाने में रिपोर्ट दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजीव गांधी नगर पुलिस ने बताया कि पत्रकार कॉलोनी झंवर रोड निवासी शाकिर पुत्र सरकार अली ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि 17 जुलाई से 19 जुलाई के बीच उसका घर सूना था। इस बीच नकबजनों ने सैंधमारी करके अलमारी और बक्से में रखी करीब 50 हजार रूपए, दो जोड़ी कान के टॉप्स आधा तोला, सोने की एक चैन 1 तोला, आठ नग सोने की बालियां करीब 2 ग्राम की, तीन जोड़ी चांदी की पायजेब 8 तोला, दस जोड़ी बिच्छिया चांदी की 1 तोला की आदि सामान चोरी कर ले गए। पुलिस प्रकरण की जांच में जुटी है।

मां व छोटी बेटी घर पर, बड़ी ने जान दी

जोधपुर, (कासं)। शहर के झंवर रोड स्थित अलकोसर नगर में एक युवती ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उसके आत्महत्या का कारण पता नहीं चला है। पिता ने कोई शक्युबह जाहिर नहीं किया। घटना के समय मृतका की माँ और छोटी बहन घर ही थे। पुलिस ने शव को कार्रवाई के बाद परिजन के सुपुर्द किया। राजीव गांधी नगर पुलिस ने बताया कि अलकोसर नगर झंवर रोड निवासी मेहराज पुत्र हरखो ने मर्ग में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि वह काम पर गया हुआ था। घर में उसकी दो बेटियां और पत्नी मौजूद थे। तब बड़ी बेटी 18 वर्षीय सविता ने एक कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। पता लगाने पर उसे फंदे से उतार कर अस्पताल लाया गया, मगर डॉक्टर ने उसे मृत बता दिया। उसके फंदा लगाने का कारण पता नहीं चला है।

शादी का झंसा, देहशोषण का आरोप

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर जिला पश्चिम में रहने वाली एक युवती को शादी का झंसा देकर डेड साल तक देहशोषण किए जाने का प्रकरण दर्ज हुआ है। पीड़िता का मेडिकल क्वाइ इसकी जांच आरंभ की गई है। फिलहाल आरोपी नहीं पकड़ा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस निरीक्षक ने बताया कि एक युवती की तरफ से यह रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि वह आरोपी ही जाति के एक युवक से दोस्ती के बाद संबंध में आा गई है। आरोपी उसे शादी का झंसा देता रहा और एक केफे ले जाकर दुकर्म किया। उसके बाद भी वह शादी का झंसा देकर देशोषण करता रहा। अब शादी से मुकर गई है। पुलिस निरीक्षक ने बताया कि जांच की जा रही है। आरोपी की तलाश जारी है।

कई जगह से बाइक चोरी

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर शहर में अलग अलग स्थानों से तीन गाडियां चोरी हो गई। संबंधित पुलिस थाने में इस बाबत रिपोर्ट दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवनगर पुलिस ने बताया कि सरदारपुरा क्षेत्र में रहने वाले मोतीलाल पुत्र शिवचंद पटेल ने रिपोर्ट दी। इसमें मोतीलाल ने पुलिस को बताया कि वह रविवार को अपने किसी काम से सेक्टर 10 चौबाहो आया था। जहां से उसकी बाइक चोरी हो गई। वहीं शास्त्रीनगर पुलिस के अनुसार झरिया बेरा एकलखोरी ओसियां हाल पाल रोड निवासी जगदीश पुत्र खेताराम जाट ने बताया कि अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी उसकी बाइक को अज्ञात वाहन चोर चुराकर ले गया। जबकि कुड़ी गांव निवासी श्रवण कुमार पुत्र बंशीलाल प्रजापत ने विवेक विहार पुलिस को बताया कि रविवार को दोपहर 2 से छह बजे के बीच अज्ञात शख्स उसकी बाइक चोरी कर ले गया।

रुपए लेकर सोना नहीं देने का केस दर्ज

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर शहर के घोड़ों का चौक स्थित एक ज्वैलर और उसके पुत्रों पर धोखाधड़ी किए जाने का केस दर्ज हुआ है। ठाहक से रूपए लिए मगर उसे सोना नहीं दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित ने सरत बाजार थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर बाप बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। शेरगढ के सार्दों का बास निवासी भीमसेन पुत्र कालुराम सुनार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसने घोड़ों का चौक में एक ज्वैलरी कारोबारी और उसके बेटों प्रवीण एवं राजकुमार को 13–15 मई के बीच में सोना खरीदने के लिए रूपए दिए थे। मगर काफी समय गुजरेने के बाद भी उन लोगों ने उसे सोना नहीं दिया। दिए गए रूपए वापिस मांगने पर टालमटोल जवाब दिया गया। पुलिस ने प्रकरण में आपसी लेन देन की भी आशंका जताई है। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है।

मानपुरा भाकरी में कार्यक्रम आयोजित

पाली, (नि.सं.)। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय,मानपुरा भाकरी पाली में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्ष नूतन बाला कपोला ने भारत विकास परिषद का परिचय दिया। संयोजक सुबुद्धि समदडिया ने गुरु वंदन क्षेत्र अभिनंदन का महत्व बताया। प्रशांत कटारिया ने शपथ दिलवाई एवं पुष्पा परिहार ने मंच का संचालन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य शीला कनौजिया ने सभी का स्वागत करते हुए,परिषद के कार्यों की प्रशंसा करते हुए,छात्रों का सम्मान किया गया। भारत विकास परिषद एवं नूतन पहल संगठन द्वारा स्कूल के बच्चों को स्टेशनरी वितरित की गई। इस कार्यक्रम में राजेंद्र कुमार समदडिया, ममता चंदेल, सुरेश सेठिया आदि उपस्थित रहे।

बी.एम.एस. स्थापना दिवस पर रैली 26 को

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर जलदाय श्रमिक संघ जिला जोधपुर की एक बैठक जिला अध्यक्ष बाबूलाल धायल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 26 जुलाई को आयोजित होने वाली रैली की तैयारियों की समीक्षा करना था। बैठक में जिला महामंत्री मीधाराम कालीण्णा ने बताया कि भारतीय मजदूर संघके स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली रैली के पोस्टर का विधिवत विमोचन किया गया। साथ ही हर घर बीएमएस ध्वज अभियान के अंतर्गत उपस्थित कार्यकर्ताओं को संगठन के ध्वज वितरित किए गए।

डाक विभाग एवं पेटीएम की अपीलें अस्वीकार

जोधपुर, (कासं)। राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर पीठ ने दो अलग-अलग निर्णय में डाक विभाग एवं पेटीएम की अपीलों को अस्वीकार करते हुए सेवा दोष माना तथा जिला आयोग के आदेश को यथावत रखा है।

डाक विभाग सिरोंही द्वारा राज्य आयोग के समक्ष अपील में बताया गया की परिवारी नारायण सैनी ने डाक विभाग से एक पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी पॉलिसी की अवधि मार्च 2011 से मार्च 2018 तक थी , जिसकी मासिक किश्त 1315 रूपए थी परिवारी ने जुलाई 2013 तक नियमित 27 किश्त जमा करवाई। उसके बाद बीमारी के कारण परिवारी आगे किश्त नहीं जमा करा सका। परिवारी ने जमा राशि लौटाने का प्रार्थना पत्र दिया, जिसे विभाग ने अस्वीकार कर दिया। डाक विभाग का यह कहना था कि परिवारी ने जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए लिखित में आवेदन नहीं किया। परिवारी ने 27 किश्ते जमा करवाई थी , परंतु पॉलिसी नियम 2011 के नियम 39 के तहत पॉलिसी का परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि 36 माह तक किस्ते जमा नहीं हुई है। नियम 39 के तहत समस्त देय लाभ जब्त किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है जिला आयोग सिरोंही ने परिवारी का परिवार स्वीकार कर जमा राशि 3550०5 एवं मानसिक परेशानी के 5 हजार रूपए देने के आदेश

पारित किए थे।

जिला आयोग के निर्णय के विरुद्ध डाक विभाग ने राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर पीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए निर्णय को अस्वीकार करने की प्रार्थना की। आयोग के सदस्य न्यायिक सुंदर सिंह व सदस्य लियाकत अली ने बहस सुनकर अपने निर्णय में कहा कि डाक विभाग द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों में उपभोक्ता केवल परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ऐसा नियमों उल्लेख है परिवारी ने केवल जमा राशि ही वापस प्राप्त करने का निवेदन किया है , किसी भी प्रकार के परिलाभ की मांग नहीं की है।

डाक विभाग ने नियमों की गलत व्याख्या की है। आयोग ने डाक विभाग की अपील को अस्वीकार कर उपभोक्ता की जमा राशि 355०05 रूपए देने के आदेश देते हुए विभाग की अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोहर लाल पालीवाल विपक्षी परिवारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

एक अन्य प्रकरण में पेटीएम के माध्यम से उपभोक्ता द्वारा अदा की गई राशि विद्युत विभाग तक नहीं पहुंची । जिसको राज्य उपभोक्ता आयोग ने सेवा दोष मानने हुए जिला आयोग के निर्णय को संशोधित करते हुए पेटीएम की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर

नगर निगम पाली जल निकासी व अन्य कार्यों में तत्परता से जुटा दिखा

पाली, (नि.सं.)। पाली शहर में अतिवृष्टि के कारण सामान्यतया जल चराव की स्थिति बनी रहती है। इस वर्ष मानसून से पूर्व निगम द्वारा तत्परता से विशेष प्रयास किये गये है।

नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि वर्षा पूर्व निगम द्वारा 08 चैनल गेटों की मरम्मत एवं थिसिंग बरखाई गई, शहर में लगभग 1०0 माली कोस रिपेयर किये गये। कई स्थानों पर कच्ची टूट च खुदवाई गईं, ताकि जल निकासी तीव्र गति से हो सके।

पाली शहर के ए. बी. सी श्रेणी में विभाजित कर जल निकास हेतु विशेष योजनाएं तैयार की गईं। वीर दुर्गादास नगर, पैकेज कोलोनी, आदर्श नगर आदि पाली शहर में अनेक कोलोनियों ऐसी है जहाँ वर्षा पूर्व नालों की सफाई हो जाने के कारण जल गत वर्ष की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से निकल गया। दूसरी श्रेणी में रामदेव रोड की कॉलोनी आती है, जहां जैसे हो लाछोटिया तालाब की चारर कम होगी, स्वतः ही जल भराव समाप्त हो जायेगा। शेष रूत विहा, पटान कोलोनी केशव नगर विकास नगर आदि ऐसे इलाके जहाँ नाले नहीं हैं उनमें निगम द्वारा लगभग 28 कोलोनियों ने जल भराव

चाले क्षेत्रों से जल निकासी के लिये लगभग 3००0 नीटर कच्ची टूट च खुदवाकर स्थानीय एवं प्राकृतिक बहाव क्षेत्रों से जोड़ा गया पाली शहर में वर्षा के दौरान जल नराय वाले क्षेत्रों में 16 मड पंप लगाकर जल निकास की व्यवस्था की गई है । साथ ही निगम से सभी सफाई सैनिकों एवं कार्मिकों, तकनीकी अधिकारियों की जल भराव वाले क्षेत्रों में तैनात किया गया है। जल भराव वाले क्षेत्रों से रेस्क्यू किये गये लोगों के लिए 294 व्यक्ति्यों की क्षमता वाले 5 रैन बसेरों में रूकने की व्यवस्था की गई है। पाली शहर में 3 पारियों में नियंत्रण की स्थापना की गई।

उन्होंने बताया कि 10 जैसीबी का माध्यम से जल निकासी रुकावटों को दूर किया गया। उन्होंने बताया कि 2० ट्रेक्टर ट्रॉली एवं मिट्टी के कट्टों को जलले मशव बाले क्षेत्रों में भेजकर सड़क के को भरा गया एवं जल प्रवेश को आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश से रोका गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों टूटे हुए 2 वृक्षों को हटया गया है। साथ ही आवश्यकता अनुसार वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों में पेचवर्क एवं झीकरा डाल कर गड्ढे भरने का कार्य भी करवाया जा रहा है।

घरेलू जल कनेक्शन के लिए जलदाय विभाग की नई पहल

बाड़मेर, (नि.सं.)। अब वाणिज्यिक जल कनेक्शन के साथ-साथ घरेलू जल कनेक्शन के लिए जल मित्र एवं के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता स्वयं अपने स्तर पर या निकटतम ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अधिवक्ता हजारीराम बालबा ने बताया कि आवेदन प्राप्त होने के पश्चात संबंधित कनिष्ठ अभियंता या सहायक अभियंता की ओर से आवेदन पत्रावली की जांच की जाती है। यदि किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो आवश्यक आपत्तियां अंकित कर आवेदनकर्ता को वापस किया जाता है। उपभोक्ता को 15 दिवस की अवधि में आवश्यक कार्यवाही करनी होती है। अन्यथा फाइल स्वतः बंद कर दी जाती है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता के लिखित निवेदन पर घरेलू जल कनेक्शन की पत्रावली पुनः खोली जा सकती है। वाणिज्यिक जल कनेक्शन

राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर पीठ ने दो अलग-अलग निर्णय में जिला आयोग के आदेश को यथावत रखा

पेटीएम वन कम्पनिकेशंस को उपभोक्ता को हर्जाना देने के भी निर्देश दिए हैं।

आयोग की जोधपुर पीठ के सदस्य न्यायिक ऊर्मिला वर्मा एवं सदस्य लियाकत अली के समक्ष जिला आयोग के निर्णय के पेटीएम ने अपील पेश कर बताया कि परिवारी ऋषिराम निवासी भोपालगढ ने जोधपुर विद्युत वितरण में विद्युत कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था परिवारी ने सितंबर 2०18 में राशि का भुगतान 267६7 रूपए पेटीएम के माध्यम से की किया था, परंतु राशि जोधपुर डिस्कॉम के खाते में नहीं पहुंची। परिवारी द्वारा शिकायत करने पर पेटीएम कस्टमर प्रतिनिधि ने कहा की राशि 72 घंटे में वापस हो जाएगी परिवारी को विद्युत कनेक्शन की राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण परिवारी ने दूसरी बार 267६7 रूपए का भुगतान किया, वह भी जोधपुर डिस्कॉम को प्राप्त हुई। परिवारी को ना ही राशि वापस प्राप्त हुई परिवारी ने मजबूरी में तीसरी बार ई मित्र

भजन संध्या आज

जालोर, (कासं)। शिवाजी नगर स्थित श्री राजारामजी महाराज मंदिर में कलबी समाज के आराध्य देव श्री राजेश्वर भगवान की 82 वीं पुण्यतिथि पर 22 जुलाई को भजन संध्या होगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री राजारामजी महाराज मंदिर एवं बालिका शिक्षण सेवा संस्थान जालोर के अध्यक्ष अर्जुन चौधरी जलामपुरा ने बताया कि कलबी समाज के आराध्य देव की 82 वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में संस्थान परिसर में स्वच्छता हेतु श्रमदान कर वृक्षारोपण किया जायेगा।

सामाजिक जागृति के लिए मंगलवार शाम को रात्रि जागरण एवं बुधवार को साप्ताहिक भोजन प्रसादी का आयोजन रखा जा रहा है जिसमें कलबी चौधरी समाज के समस्त समाजबन्धु शरीक होंगे।

श्री राजारामजी महाराज मंदिर एवं बालिका शिक्षण सेवा संस्थान के सचिव अशोक चौधरी तिखी ने बताया कि आराध्य देव पुण्यतिथि के अवसर पर संस्थान परिसर में आराध्य देव के जीवनवृत्त पर वैचारिक गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा जिसमें समस्त समाजबन्धु अपने समाज की पारम्परिक वेशभुषा में सम्मिलित होंगे।

पुण्यतिथि समारोह को सफल बनाने को लेकर कोषाध्यक्ष नारायण चौधरी बालवाडा, उपाध्यक्ष सुरेश चौधरी थांवला, उपराम पाणवा, सह कोषाध्यक्ष कांतिलाल पाणवा, संयुक्त सचिव मोटाराम सामतपुरा व भरत पटेल नरसाणा को जिम्मेदारी दी गई।

एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत 151 पौधे लगाए

पोकरण, (कासं)। श्रावण मास के पवन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल, पोकरण द्वारा एक वृक्ष माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 1५1 पौधों का वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं मातृ-सम्मान का संदेश दिया गया। यह आयोजन भाजपा के वन एवं पर्यावरण अभियान 202५ के तहत पूर्व जिलाध्यक्ष जुगल किशोर व्यास के नीजी फार्म हाउस पर संपन्न हुआ।

कार्यक्रम का शुभारंभ पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज (तारातरा मठ) , नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी, पूर्व जिलाध्यक्ष जुगल किशोर व्यास, एवं नगर मण्डल अध्यक्ष जेतराड माली ने संयुक्त रूप से पौधारोपण कर किया। इस मौके को लेकर विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने अपने उद्घोषन में कहा, माँ के सम्मान और प्रकृति के संरक्षण के संकल्प को जोड़ता यह अभियान भारतीय संस्कृति और

शपथ ग्रहण समारोह हुआ

पाली, (नि.सं.)। तेरापंथ महिला मंडल पाली की नवीन कार्यकारिणी (20२5–2०27) का शपथ ग्रहण समारोह तेरापंथ भवन में जेतराड धर्मसंघ के ग्यारहवें अधिशास्ता आचार्य महाश्रमण जी की विदुषी शिष्या साध्वी काव्यलता (ठाणा 4) के सान्निध्य में संपन्न हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार किरण पटावरी

अध्यक्ष, मधु बाँटिया मंत्री, कोषाध्यक्ष विनीता बेगानी, प्रथम उपाध्यक्ष गुणवती खाटेड, द्वितीय उपाध्यक्ष सीमा मरलेचा, प्रथम सहमंत्री लीना वेदमुथा, द्वितीय सहमंत्री गरिमा पोषड़ा, संगठन मंत्री, प्रेम भंसाली, प्रचार-प्रसार मंत्री बीना नाहटा, कन्यामंडल प्रभारा मंत्री मंडोत, ज्ञानशाला प्रभारी उषा मरलेचा, तत्वज्ञान प्रभारी दीपिका वेदमुथा हैं।

जालोर में न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे



जालोर में न्यायिक कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहकर नारेबाजी की।
 फोटो-राष्ट्रदूत

जालोर, (कासं)। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर सोमवार को जालोर जिले के न्यायिक कर्मचारियों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों के पदों के पुनर्गठन की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारी उच्च न्यायालय के सम्मान में सरकार के विरोध में कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चल रहे है।

जानकारी के अनुसार जालोर जिले के न्यायालयों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के कर्मचारी भी सोमवार से बताया कि अधिनस्थ न्यायालयों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पद स्थापित कर्मचारियों के केंडर पुनर्गठन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की ओर से प्रस्ताव बनाकर अनुमोदन कर राज्य

सरकार को भेजा जा चुका है । लेकिन सरकार इसकी पालन नहीं कर रही है। इसको लेकर न्यायिक कर्मचारियों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों के पदों के पुनर्गठन की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारी उच्च न्यायालय के सम्मान में सरकार के विरोध में कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चल रहे है।

जानकारी के अनुसार जालोर जिले के न्यायालयों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के कर्मचारी भी सोमवार से बताया कि अधिनस्थ न्यायालयों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पद स्थापित कर्मचारियों के केंडर पुनर्गठन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की ओर से प्रस्ताव बनाकर अनुमोदन कर राज्य

कार्यों की समीक्षा की

पाली, (नि.सं.)। जिला कलेक्टर एल. एन. मंत्री ने सोमवार को जिला कलक्टर कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। जिले में भारी बरसात व जल भराव को लेकर आपदा राहत

कामों व बाढ़ बचाव कार्यों की प्रगति को जानकारी ली और व्यापक समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में उन्होंने इसके लिये दुआईटी व नगर निगम व साथ ही अन्य अधिकारियों से भी जानकारी लेकर जल भराव क्षेत्रों में जल निकासी के लिये निर्देश दिये।

जिला कलेक्टर मंत्री ने साथ ही मानसून बांधों की स्थिति, पानी, विजली ,सड़कों के बारे में व चिकित्सा विभाग के लिये आयल बाल व मौसमी बीमारियों से बचाव आदि की समीक्षा

कर आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने व

आमजन को नदियों ,तालाबों , जहां पानी का भराव है वहां ना जाने के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिये कहा।

साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में पौधारोपण के विभागवार लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा की और सभी प्रमुख विभागों को लक्ष्यानुसार बकाया पौधारोपण के लिये निर्देश दिये। मानसून में बारिश में जहां पानी की आवक है व लोग जाते हैं उन्हें वहां दुर्घटना से बचाव के लिये जाने से रोकने के लिये शिक्षा विभाग, पंचायतों आदि के माध्यम से जानकारी व जागरूकता व आवश्यक साईन बोर्ड लगाने के लिये कहा।

साथ ही राज्य सरकार की महत्वपूर्ण विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की।

प्रधान-६
(विभ-६२) सेंधपुर

प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय नगरपालिका, मारवाड़ जंक्शन (पाली)

क्रमांक/ 69-क / 2025-26 / 310

दिनांक: 16.07.2025

आपत्ति सूचना

अग्रलिखित आवेदनकर्ताओं द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा प्राप्त करने के लिए व नगरपालिका शहरही क्षेत्र में निहित नजूल भूमि, राजकीय भूमि पर दिनांक 16.07.2025 तक के अतिमात्रण इत्यादि को नियमित करने हेतु कार्यालय नगरपालिका मारवाड़ जंक्शन में नीचे उल्लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है. अर्थात् :-

क्र. सं.	प्राप्ती का नाम	कालोनी / मीलस्टे / गली का नाम	क्षेत्र की मीटर	प्रस्तावित प्रयोजनार्थ	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1	श्रीमती राजा टांडा पल्लि श्री अशोक कुमार	मू. सं. 80.81,82,83,84, 85,86,87,88, 89,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518						
		गंगा नगर कोलोनी	957.24	आवस्यी	आम रास्ता	आम रास्ता	आम रास्ता	आम रास्ता

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकांश अधिमात्रण करने के लिए राजकीय भूमि पर दिनांक 16.07.2025 तक के अतिमात्रण इत्यादि को नियमित करने के लिए नगरपालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि के अधिकार अल्पमात्रण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो नीोटिदा के प्रमाणन के 07 दिनों के भीतर भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधीहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष सम्मर्पण दर्तावेज के साथ अपने आवेदन/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

चरुपत्ति निहित सम्यक के भीतर-आधीन किसी आक्षेप/आपत्ति के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई कोई आक्षेप/आपत्ति नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 16.07.2025 को जारी की गयी।

रा.स.संवा.प/सी/25/6575

प्राधिकृत अधिकारी